कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएँ

1. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना**

- पीएम-किसान एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
- यह योजना 01 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत सभी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है ।
- इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
- राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करते हैं।
- आय सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है ।
- इस योजना के लिए विभिन्न अपवर्जन श्रेणियां हैं।

2. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)**

- भारत सरकार ने अप्रैल, 2016 से पीएमएफबीवाई की शुरुआत की है। इसमें एक समान प्रीमियम की परिकल्पना की गई है, जिसमें खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा केवल 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का भुगतान करने का प्रावधान है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की दर 5% है। यह योजना उन किसानों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने बैंकों से संस्थागत ऋण लिया है और उन किसानों के लिए वैकल्पिक है जिन्होंने संस्थागत ऋण नहीं लिया है।

उद्देश्य:

- अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वितीय सहायता प्रदान करना। किसानों की आय को स्थिर करके खेती की निरंतरता सुनिश्चित करना।
- किसानों को नई और आधुनिक कृषि पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

- कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करके किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाना तथा खाद्य सुरक्षा और फसल विविधीकरण के माध्यम से कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान देना।

3. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

- यह बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें फल, सब्जियां, कंद और मूल फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस शामिल हैं। एमआईडीएच के तहत, भारत सरकार पूर्वोत्तर और हिमालय के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का 60% योगदान देती है, 40% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा योगदान दिया जाता है । पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के मामले में, भारत सरकार 90% योगदान देती है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के मामले में, भारत सरकार 100% योगदान देती है। एमआईडीएच राष्ट्रीय कृषि विकास योजना /एनएमएसए के तहत केसर मिशन और अन्य बागवानी संबंधी गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों/राज्य बागवानी मिशनों (को तकनीकी सलाह और प्रशासनिक सहायता भी प्रदान करता है।

4. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

- एआईएफ एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसे जुलाई, 2020 में प्रारंभ किया गया था।
- यह ब्याज छूट और फसलोपरांत प्रबंधन के इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम अवधि की ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करता है।
- इस स्कीम के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट के साथ 1 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सीजीटीएमएसई के तहत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किए जाएंगे।
- प्रत्येक इकाई विभिन्न एलजीडी कोड में स्थित 25 परियोजनाओं के लिए स्कीम का लाभ पाने के लिए पात्र है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड(एआईएफ) के विस्तार को मंजूरी दी है। प्रमुख उपायों में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए व्यवहार्य सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों की अनुमति देना शामिल है, जिसमें पात्र गतिविधियों में प्राथमिक प्रसंस्करण के साथ एकीकृत माध्यमिक प्रसंस्करण परियोजनाएं और एआईएफ को पीएम-कुसुम के साथ संयोजन करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, एफपीओ को ऋण गारंटी सहायता देने के लिए एनएबी संरक्षण को भी स्कीम में शामिल किया गया है।

पात्र गतिविधियां:

(क) फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएँ

- ई-मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएँ
- गोदाम और साइलो
- कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन
- छंटाई और ग्रेडिंग, पैकेजिंग इकाइयाँ
- लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ - रीफ़र वैन और इंसुलेटेड वाहन
- राईपनिंग कक्ष
- कृषि अवशेष/अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना
- प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र

(ख) सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियाँ

- जैविक इनपुट का उत्पादन - वर्मीकम्पोस्ट आदि।
- संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र
- बायोस्टिमुलेंट उत्पादन इकाइयाँ
- सुव्यवस्थित और सटीक कृषि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर
- ड्रोन की खरीद, खेत में विशेष सेंसर की स्थापना, कृषि में ब्लॉकचेन और एआई आदि।
- रिमोट सेंसिंग और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी)
- नर्सरी
- टिशू कल्चर
- बीज प्रसंस्करण
- कस्टम हायरिंग सेंटर - कृषि मशीनरी, खेत / हार्वेस्ट ऑटोमेशन
- स्टैंडअलोन सोलर पंपिंग सिस्टम, कृषि पंप का ग्रिड संबद्ध सोलराइजेशन

- एकीकृत स्पिरुलिना प्रसंस्करण केंद्र
- एकीकृत शहद प्रसंस्करण केंद्र
- एकीकृत रेशम उत्पादन और प्रसंस्करण केंद्र
- प्लांट क्वारंटीन यूनिट

निम्नलिखित परियोजनाएँ केवल समूहों के लिए पात्र हैं:

- हाइड्रोपोनिक, वर्टिकल फ़ार्मिंग, एरोपोनिक, मशरूम फ़ार्मिंग
- पॉली हाउस/ग्रीनहाउस
- लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ (गैर-रेफ्रिजरेटेड/रेफ्रिजरेटेड वाहनों सहित)
- ट्रैक्टर

पात्र लाभार्थी:

पात्र लाभार्थियों में किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप, सहकारी समितियां, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह, जेएलजी, केंद्रीय/राज्य एजेंसियां, कृषि उपज बाजार समितियां (मंडियां), राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के संघ, एफपीओ (किसान उत्पाद) के संघ और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के संघ शामिल हैं।

5. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

- आरकेवीवाई वर्ष 2007-08 के दौरान शुरू की गई एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है।
- राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर अपना व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान के रूप में धनराशि जारी की जाती है। राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं और कृषि-जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार हस्तक्षेपों में निवेश करने के लिए योजनाओं के चयन, योजना, अनुमोदन और निष्पादन की प्रक्रिया में अनुकूलता और स्वायत्तता है।
- वर्ष 2015-16 से, इस योजना का वित्तपोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 {पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10} है। हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तपोषण पैटर्न 100% जारी रखा गया है।
- आरकेवीवाई को वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ़्तार) के रूप में जारी रखा गया है,

जिसका व्यापक उद्देश्य किसानों के प्रयासों को सुदृढ़ बनाने, जोखिम कम करने और कृषि-व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना है।

- आरकेवीवाई को वर्ष 2022-23 से कैफेटेरिया स्कीम के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की कुछ योजनाओं का विलय कर दिया गया है, जिसमें मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, कृषि मशीनीकरण (फसल अवशेष प्रबंधन सहित), कृषि वानिकी और फसल विविधीकरण कार्यक्रम शामिल हैं।
- वर्ष 2024-25 से इस स्कीम का नाम बदलकर पीएम-आरकेवीवाई कर दिया गया है और विलय की गई स्कीमों को प्रत्येक घटक के लिए विशिष्ट आवंटन के साथ कार्यान्वित किया गया है।

6. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

पीकेवीवाई राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की प्रमुख परियोजना मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक व्यापक घटक है। इसके तहत क्लस्टर दृष्टिकोण और पीजीएस प्रमाणन द्वारा जैविक गाँव को अपना करके जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है।

योजना की अवधारणा:

- प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना।
- उत्पाद कीटनाशक अवशेष मुक्त होगा और उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान देगा
- इससे किसानों की आय बढ़ेगी और व्यापारियों के लिए संभावित बाजार बनेंगे।
- इससे किसान प्राकृतिक संसाधनों को जुटाने और इनपुट का उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे।

कार्यक्रम कार्यान्वयन:

- परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों के समूहों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- योजना के तहत, 50 एकड़ भूमि वाले 50 या उससे अधिक किसान जैविक खेती करने के लिए समूह बनाएंगे। इस तरह तीन वर्षों के दौरान 5.0 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती के तहत 10,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे।

- प्रमाणीकरण पर होने वाले व्यय का बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा।
- बीज से लेकर फसल की कटाई और उपज को बाजार तक ले जाने तक प्रत्येक किसान को तीन वर्षों में 20,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।
- परम्परागत संसाधनों का उपयोग करके जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और जैविक उत्पादों को बाजार से जोड़ा जाएगा।
- किसानों को शामिल करके इससे घरेलू उत्पादन और जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

7. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

पीएमकेएसवाई का व्यापक दृष्टिकोण देश में सभी भूमि जोतों तक सुरक्षात्मक सिंचाई की पहुँच सुनिश्चित करके और 'प्रति बूंद अधिक फसल' पैदा करके वांछित ग्रामीण समृद्धि लाना है।

उद्देश्य:

- क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के कन्वर्जेंस को प्राप्त करना (ज़िला स्तर और, यदि आवश्यक हो, उप-ज़िला स्तर पर जल उपयोग योजनाओं की तैयारी)।
- खेत पर पानी की वास्तविक पहुँच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना।
- पानी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जल संसाधन एकीकरण, वितरण और इसका कुशल उपयोग।
- अपव्यय को कम करने और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।
- सटीक-सिंचाई और अन्य जल-बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद अधिक फसल) को अपनाने में वृद्धि करना।
- जलभृतों के पुनर्भरण को बढ़ाना और स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना।
- मृदा और जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, अपवाह को रोकने, आजीविका के विकल्प प्रदान करने और अन्य एनआरएम गतिविधियों के लिए वाटरशेड दृष्टिकोण का उपयोग करके वर्षा आधारित क्षेत्रों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना।

8. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

वर्ष 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को उनके बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार का लक्ष्य इस स्वैच्छिक पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कुछ अपवर्जन मानदंडों के अध्यधीन किसानों को 3000/- रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान करना है।

9. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों को किसान उत्पादक संगठनों के रूप में समूहबद्ध करना है, ताकि वे वैज्ञानिक एवं नवीन उत्पादन तकनीक अपनाकर आसानी से उत्पादकता में वृद्धि कर सकें, साथ ही प्रतिस्पर्धी बाजार के माध्यम से निरंतर अपने उत्पाद से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

योजना के तहत भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता:

- एफपीओ प्रबंधन सहायता - 3 वर्ष तक प्रति एफपीओ 18 लाख रुपये।
- सी.बी.बी.ओ. लागत - 5 वर्ष तक प्रति एफपीओ 25 लाख रुपये
- मैचिंग इक्विटी अनुदान - अधिकतम 15 लाख रुपये (प्रति सदस्य किसान अधिकतम अंशदान 2 हजार रुपये)।

10. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडी-एनईआर)

एमओवीसीडी-एनईआर भारत सरकार की जैविक योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जैविक मूल्य श्रृंखला विकसित करना है। यह योजना वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर भारत के सभी आठ राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना इनपुट, बीज, जैविक प्रमाणीकरण, संग्रहण, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण पहलों के लिए सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का समर्थन करती है।

11. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)

ई-नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से एकीकृत कृषि बाजार बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत देश में मौजूदा थोक कृषि उपज मंडियों को केंद्रीय ई-प्लेटफॉर्म से जोड़कर किसानों की उपज को कई बाजारों और कृषि व्यापारियों तक पहुँचाया जा रहा है ताकि किसानों को पारदर्शिता के साथ प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्य मिल सके।

उद्देश्य:

- किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कई बाजार और खरीदार उपलब्ध होंगे।
- प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किसान अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
- कृषि व्यापार में पारदर्शिता लाकर तथा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी बनाकर उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले उत्पाद मूल्य में किसानों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है।
- कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर होने वाले घाटे को कम किया जा सकता है।
- विपणन लागत को कम किया जा सकता है।

12. राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी)

एनएमओओपी को वर्ष 2014-15 से पूर्वोत्तर राज्यों सहित 27 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि ऑयल पाम के क्षेत्र विस्तार सहित तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। एनएफएसएम-दलहन और एनएमओओपी दोनों के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्लस्टर प्रदर्शन और फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफएलडी) के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है, जिसमें गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति, नई किस्मों के बीज और मिनी किट, मृदा सुधार के लिए उत्पादन इनपुट, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव-उर्वरक, दलहन और तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जैव-एजेंट, कृषि मशीनरी, जल-बचत उपकरण, पौध संरक्षण रसायन और किसानों/विस्तार कर्मियों का क्षमता निर्माण शामिल है।

13. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

केसीसी के तहत अधिकतम किसानों को लाने के लिए ताकि उन्हें आईएसएस योजना के माध्यम से सस्ती दरों पर ऋण मिल सके, सरकार फरवरी, 2020 से केसीसी के साथ किसानों को संतृप्त करने के

लिए एक अभियान चला रही है, जिसमें पीएम किसान लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, शेष सभी किसानों को कवर किया जा सकता है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2.5 करोड़ किसानों को लगभग 2.00 लाख करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह के साथ कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। पात्र और इच्छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया गया था, जिसमें पीएम किसान लाभार्थियों पर विशेष ध्यान दिया गया था। इससे किसानों को रियायती ब्याज दर पर संस्थागत ऋण प्राप्त करने में मदद मिली है।

14. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)

भारत सरकार ने किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रियायती ब्याज दरों पर केसीसी के माध्यम से अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) कार्यान्वित की है। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण दिया जाता है। इसके लिए वर्तमान में वित्तीय संस्थानों द्वारा ब्याज में 1.5% की छूट दी जा रही है। इस प्रकार, किसानों को कृषि एवं पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि सहित अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए 3.00 लाख रुपये तक की राशि 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण के रूप में उपलब्ध है। किसानों को समय पर और समय पर ऋण चुकाने पर 3% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। केवल संबद्ध गतिविधियों (कृषि के अलावा) के लिए लिए गए अल्पावधि ऋण के मामले में, 2.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि 7% पर उपलब्ध है। इस पर 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट भी उपलब्ध है।

15. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)

मधुमक्खी पालन एक कम निवेश और अत्यधिक कुशल उद्यम मॉडल है, जो प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक उद्यम के रूप में उभर रहा है। मधुमक्खी पालन इस दृष्टिकोण के माध्यम से किसानों और अन्य लोगों की आजीविका बढ़ाने में सहायक है। मधुमक्खी पालन से न केवल क्रॉस-परागण के माध्यम से कृषि और बागवानी फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि उनकी उपज भी बढ़ती है। इस संदर्भ में, मीठी क्रांति और वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के सतत और सक्रिय संवर्धन और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) शुरू किया गया है। एनबीएचएम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) के माध्यम से किया जाता है।

- **एनबीएचएम के 3 लघु मिशन हैं:**

(i) किसानों/मधुमक्खी पालकों द्वारा वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को अपनाने पर जोर देकर विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।

(ii) मधुमक्खी उत्पादों के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन और मूल्य संवर्धन इकाइयों के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास करना, निष्कर्षण के बाद उनके प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।

(iii) मधुमक्खी पालन के लिए अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना

16. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

एनएफएसएम का क्रियान्वयन फसलों, विशेषकर पौष्टिक अनाजों और दलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एनएफएसएम को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के चिन्हित जिले शामिल हैं। एनएफएसएम के अंतर्गत उन्नत पद्धतियों के पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणालियों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं और किसानों को उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी)/संकर किस्मों के बीज, उन्नत कृषि मशीनरी/उपकरण, जल बचत यंत्र, सूक्ष्म पोषक तत्व और पौध संरक्षण रसायन, प्रसंस्करण और फसलोपरांत के उपकरण, किसानों को प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

17. बजट 2025-2026 में घोषित नई पहल:

क) दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन :

- भारत सरकार ने तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6-वर्षीय "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन" की घोषणा की है ।
- नैफेड और एनसीसीएफ नामक केंद्रीय एजेंसियां इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण कराने वाले और समझौता करने वाले किसानों से अगले 4 वर्षों तक इन दलहन की खरीद करेंगी।

ख) कपास उत्पादकता मिशन:

- भारत सरकार ने कपास उत्पादक किसानों के लिए “कपास उत्पादकता मिशन” की घोषणा की है।
- यह मिशन कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा तथा अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देगा।
- टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के साथ संरेखित, इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत के पारंपरिक कपड़ा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

ग) प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना :

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के साथ, भारत सरकार ने कृषि राज्यों के सहयोग से 'प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना' शुरू करने की घोषणा की है।
- यह कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानदंडों से प्रभावित 100 जिलों को कवर करेगा।
- इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल फसलोपरांत भंडारण को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।

घ) सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम:

- आय के बढ़ते स्तर के साथ सब्जियों, फलों और श्री-अन्न की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।
- राज्यों के सहयोग से उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ।
- किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों के कार्यान्वयन और भागीदारी के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाएंगे।

ङ) बिहार में मखाना बोर्ड:

- मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इन गतिविधियों में शामिल किसानों को समूह दृष्टिकोण के माध्यम से एफपीओ में संगठित किया जाएगा।
- बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करेगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले ।

च) केसीसी के माध्यम से उन्नत ऋण:

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी।